<u>**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**</u>
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
वित्त प्रभाग

सं.1-2/ऑडिट/विविध/2019-20

दिनांक:

<u>**परिपत्र**</u>

"शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों में शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु" प्रदान किए जाने वाले <u>शैक्षिक भत्ते पर नियम 2बीबी(1)(ई) के अंतर्गत उस सीमा तक छूट दी जाती है, जिस सीमा तक, उस प्रयोजन के लिए वास्तव में ऐसे व्यय किए गए हैं</u>।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(14)(i) के अनुसार शैक्षिक भत्ता ऐसी आय का हिस्सा है "जो लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में संपूर्णत:, आवश्यकत: और अनन्यत: उपगत किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया कोई विशेष भत्ता या लाभ, जो धारा 17 के खंड (2) के अर्थ में परिलब्धि की प्रकृति का नहीं है"।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा छूट प्राप्त करने हेतु, जिन कर्मचारियों को शैक्षिक भत्ता प्रदान किया गया है- उन्हें निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना अपेक्षित है:

<u>**प्रमाण-पत्र**</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दिनांक .... से .... तक की अवधि के दौरान प्राप्त .... रूपये की राशि अथवा सम्पूर्ण शैक्षिक भत्ते का उपयोग शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से कर लिया है।

हस्ताक्षर/दिनांक
नाम ....
पदनाम ....
विभाग ....

सेवा में,
लेखा अधिकारी (लेखा-परीक्षा)
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली

किसी भी वित्त वर्ष का प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष की 15 मार्च तक भेज दिया जाए ताकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी/एम्स इस पर छूट हेतु विचार कर सकें। उक्त प्रमाण पत्र न देने की स्थिति में, शैक्षिक भत्ते को कर्मचारी की कर-योग्य आय में शामिल कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त कर-मांग का भुगतान संबंधित कर्मचारी द्वारा 15.03.2020 तक अथवा इससे पहले करना होगा अथवा इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी/एम्स द्वारा जारी फार्म 16 में कर-योग्य आय के रूप में दिखाया जाएगा तथा इसे संबंधित कर निर्धारिती द्वारा आयकर विवरणी में शामिल किया जाना अपेक्षित होगा।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

13/3/20 – श्री संजीव

(नरेन्द्र भाटिया)
वित्त सलाहकार

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
12 MAR 2020
समय / Time ....
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

प्रतिलिपि:

- शैक्षिक भत्ता प्राप्त करने वाले सभी संकाय सदस्य/कर्मचारीगण समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारीगण
- प्रशासनिक अधिकारी (संकाय प्रकोष्ठ)-सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी हेतु
- कंप्यूटर सुविधा- एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
- निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव/उप-निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव-कृपया सूचना हेतु।

श्री अमन
संजीव कुमार 13/03/2020